

**बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग**

का0आ0सं0- भवन/भू-सम्पदा-01-आवास-(राजपत्रित)-01/2025- 83 पटना, दिनांक-13.08.2025

कार्यालय आदेश

राजपत्रित आवास आवंटन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में पूर्वदेश को विखंडित करते हुए निम्नांकित पदाधिकारी को पटना केन्द्रीय पूल से नियमानुसार आदेय किराया एवं करों के भुगतान की शर्त पर आवास आवंटित किया जाता है :-

क्र0	Reg.No	नाम/पदनाम	विभाग	आवंटित आवास
1.	BG8195	श्री हौतिनलाल साँतक, IA&AS विशेष कार्य पदाधिकारी	प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय, बिहार, पटना।	303, अल्फा ब्लॉक, शास्त्रीनगर

- सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम-10 के अधीन आवंटी पदाधिकारी से अनुरोध है कि पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे कि उन्हें आवंटित आवास स्वीकार है अथवा नहीं। उक्त अवधि में आवंटी पदाधिकारी से कोई सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उनका आवंटन स्वतः रद्द समझा जायेगा।
- नये आवंटी पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता से सम्पर्क स्थापित कर आवंटित आवास का प्रभार लेकर उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देंगे।
- केन्द्रीय सेवा के पदाधिकारियों को मकान किराया भत्ता (HRA) की राशि, निर्धारित मानक किराया एवं मंटेनेंस चार्ज राज्य सरकार के समेकित निधि में जमा करने की शर्त पर ही आवास आवंटित किया जाता है।

अतः आवास अधिग्रहण की तिथि से मकान किराया भत्ता (HRA) की राशि, निर्धारित मानक किराया एवं मंटेनेंस चार्ज की राशि Executive Engineer, Rent Division, BCD के Bank Account No-924020057053795, IFSC Code-UTIB0002619, Branch Name- Axis Bank Limited, Patliputra में बैंक ड्राफ्ट/अन्य माध्यम से प्रतिमाह 15 तारीख से पूर्व जमा की जाए।

- पटना से बाहर स्थानांतरण के उपरांत आवास दखल में रखने की अनुमान्य अवधि मात्र 1 (एक) माह है। उक्त अवधि के पश्चात मानक किराया का 30 गुना प्रति माह की दर से दण्ड किराया एवं मासिक मंटेनेंस चार्ज वसूल किया जायेगा तथा निष्कासन की भी कार्यवाई की जायेगी।
- विभागीय आदेश सं0-3473, दिनांक-30.04.2024 के आलोक में गर्दनीबाग में नवनिर्मित बहुमंजिला आवासीय परिसर के कॉमन एरीया का साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, लिफ्ट, डब्ल्यू0टी0पी0, एस0टी0पी0, जेनरेटर आदि का परिचालन में होने वाले व्यय को ध्यान में रखकर मानक किराया के साथ अतिरिक्त मासिक मंटेनेंस चार्ज भी लिया जायेगा। उक्त मासिक चार्ज को संबंधित आवासी द्वारा प्रतिमाह मानक किराया के साथ ही प्राप्त HRA भी जमा कराया जायेगा। इस प्रकार आवंटी द्वारा कंडिका-4 में वर्णित खाता में प्रतिमाह देय राशि निम्नवत होगी :-

क्र0	आवास का टाइप	प्रतिमाह HRA की राशि	मासिक मानक किराया	मासिक मंटेनेंस चार्ज	प्रति आवास कुल मासिक कटौती
1.	अल्फा ब्लॉक, शास्त्रीनगर	मूल वेतन का 20 प्रतिशत	₹1615	₹2153	HRA की राशि + ₹3768

- सरकारी आवास संबंधी किसी भी विषय, विवाद या अनियमितता को आवास आवंटन नियमावली, 1986 के नियमों के अनुरूप निस्तारित किया जाएगा।
- प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-
(शिव रंजन)

संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी

ज्ञापांक:-भवन/भू-सम्पदा-01-आवास-(राजपत्रित)-01/2025-7649(भ) पटना, दिनांक:-13.08.2025

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/श्री हौतिनलाल साँतक, IA&AS विशेष कार्य पदाधिकारी, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता(पटना)/कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम भवन प्रमंडल, दानापुर/गर्दनीबाग भवन प्रमण्डल/कार्यपालक अभियंता, कर प्रमण्डल/विद्युत कार्य प्रमण्डल सं0-1 एवं 03/कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी प्रमण्डल (पेसू)/निदेशक (तकनीकी), एन.आई.सी./आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी।